

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 359 2020 राजस्व अपील प्राधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज </div>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

अभिभाषक रेस्पो. ने जवाब बहस में निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी स्वयं द्वारा बहस में यह अंकित कराया गया है कि वे दोनों आदेशों के वक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नो अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब, वाद में प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलाट्स को लोक अदालत हेतु भी नोटिस दिया गया, जिसमें वे उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आदेश अपीलाट्स की उपस्थिति में दिये गये हैं। अतः अब उनके द्वारा दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र में जो जानकारी के अभाव का बिन्दु लिया गया है, निरर्थक है। अपीलाट्स की दोनों अपीले स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत हुई हैं, जिन्हें मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में RBJ-2010-289, CCC-2017(suppl.) 113, RRT 2012(1)569, RRT 2012(2) 1177 उद्धरित की।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है की प्रतिवादी/अपीलाट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरन्तर उपस्थित रहे हैं। यही तथ्य उनके द्वारा दौराने बहस भी स्वीकारा गया है किन्तु उनका उर्ज मात्र यही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दोनों आदेश जैर अपील पारित किये गये हैं वे उनकी सहमती के बगैर पारित किये गये हैं जबकी यह बिन्दु अपील के गुणावगुण पर सुनवाई के दौरान ही देखा जा सकता है। दफा-5 कानून मियाद के निस्तारण हेतु अपीलाट्स द्वारा कोई उचीत कारण विलम्ब का प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 359/2020 व 360/2020 मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित करते हुये अभिभाषक अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद खारिज किया जाता है फलस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 359/2020 व 360/2020 खारिज की जाती है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

